FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपु

सरोज देवी बनाम पतासी देवी

किस्म मुकदमा T. I. मु० नं. - 546 / 2017 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
27/3/18	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी उपस्थित न. अप्रार्थी सं. 5, 6 की ओर से अंतिम दिनांक 06.3.18, 15/3/18, 27/3/18 को अवसर प्रस्तुत करने के बावजूद भी जवाब प्रार्थनापत्र [illegible] प्रस्तुत नहीं किया। अतः जवाब प्रार्थना पत्र का हक बंद किया जाता [illegible] बहस हेतु (अप्रार्थी [illegible] किया जाता है) बहस प्रार्थना पत्र पर [illegible] अप्रार्थी सं 2 की ओर से तथा प्रार्थी की ओर से सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 28/3/18 को पेश हो। [illegible]
28.03.2018	पत्रावली आज वास्ते आदेश/निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् पूर्व में सुनी जा चूकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अवगत कराया कि प्रार्थीया को उसके अधिवक्ता ने कह रखा था कि आपको हर पेशी पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आवश्यकता होगी तब आपको बुला लेगें। प्रार्थीया अपने अधिवक्ता पर विश्वास करके उनके भरोसे पर निर्भर थी। जिसके कारण दिनांक 24.3.2017 को प्रार्थीया तारीख पेशी पर पैरवी हेतु उपस्थित नहीं हो सकी तथा प्रार्थीया अधिवक्ता भी तत्समय [illegible]

Scanned by CamScanner

सरोज देवी बनाम पताशी देवी वगै०

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज T. I., मु०न०-546/2017	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

आवाज नहीं सुनने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकी। जिससे दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज हो गया। प्रार्थीया बेवा है। अतः प्रार्थना पत्र वाजदायरी को स्वीकार किये जाने का निवेदन वकील प्रार्थी ने किया है।

वही वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस अवगत कराया कि प्रार्थीया/वकील प्रार्थीया के हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज हुआ है। जो सही हुआ है। वादी प्रार्थीया को बार–बार आवाज दिलवाने के उपरान्त भी हाजिर नहीं आये थे। वकील अप्रार्थी ने वाजदायरी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने तथा प्रकरण में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे नहीं बढ़ाये जाने का निवेदन किया है।

हमने वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस ध्यानपूर्वक सुनी गई। बहस पर सगौर मनन किया। वकील प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाजदायरी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पक्षकारान् को सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित समझता हूँ। अतः वकील प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाजदायरी स्वीकार किया जाता है तथा पूर्व मूल वाद संख्या 294/2014 उनवानी सरोज देवी वगै0 बनाम् पतासी देवी वगै0 दावा बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा को सुनवाई हेतु पुनः नम्बर पर लिया जाता है। उभय पक्षकारान् दिनांक 23.04.2018 को सुनवाई हेतु न्यायालय में उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
(ब्रहम लाल जाट)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner